UPBJ010000172014

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नम्बर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

सिविल अपील–75/2013

अखिलेश कुमार आदि बनाम हरिशचन्द्र मैमोरियल स्कूल

दिनांक 26–09–2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–222 नियत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग–222 व उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को आपत्ति ग–228 पर सुना।

प्रार्थना पत्र ग–222 अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपील उपरोक्त में दिनांक 02–08–2023 वास्ते साक्ष्य अपीलान्ट नियत थी उक्त दिनांक को अपीलान्ट के गवाह के पिता की तबीयत खराब हो गयी थी जिस कारण गवाह न्यायालय में उपस्थित न हो सका था एवं अपीलान्ट भी आई फ्लू होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न हो सके एवं इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता को भी सूचित नहीं कर सके तथा अधिवक्ता अपीलान्ट यह समझते रहे कि अपीलान्ट न्यायालय में बैठा होगा और जब आवाज लगेगी उन्हें बुला लेगा। जब शाम तक अपीलान्ट उन्हें बुलाने नहीं आया तब अधिवक्ता अपीलान्ट ने न्यायालय में जाकर अपील उपरोक्त के सम्बन्ध में पता किया तब पता चला कि अपील उपरोक्त में अपीलान्ट के गवाह का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है जिससे अपीलान्ट की सख्त हानि व हकतलफी है अपीलान्ट नेक नियती से अपील कन्टैस्ट करना चाहता है। न्यायहित में आदेश दिनांक 02–08–2023 रिकाल किया जाकर अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी/अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध उत्तरदाता की ओर से आपत्ति कागज सं0 ग–228 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य कथनों के साथ अपील की सुनवाई व निस्तारण विलम्बित करने के उद्देश्य से गुजारा गया है। गवाह के पिता की दिनांक 02–08–2023 को तबीयत खराब होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण या विवरण प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है न ही कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा मोबाईल से अपने अधिवक्ता को सूचित करके स्थगन प्रार्थना पत्र क्यों नहीं गुजारा इसी से प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के कथन बनावटी एवं असत्य नजर आते हैं। सूची गवाहान में अपीलार्थी ने 02 नाम दिये हैं। दूसरा गवाह क्यों नहीं आया।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.09.26 15:20:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र हर प्रकार से खर्चे सहित निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थी द्वारा मूल वाद सं0 136/1995 हरिश्चन्द्र मैमोरियल जूनियर हाईस्कूल बनाम श्रीमति प्रिमिलाराव आदि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 11–11–2014 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–222 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलान्ट के गवाह के पिता की तबीयत खराब हो गयी थी जिस कारण गवाह न्यायालय में उपस्थित न हो सका था एवं अपीलान्ट भी आई फ्लू होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न हो सके एवं इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता को भी सूचित नहीं कर सके। उत्तरदाता की ओर से आपत्ति कागज सं0 ग–228 प्रस्तुत की गयी तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य कथनों के साथ अपील की सुनवाई व निस्तारण विलम्बित करने के उद्देश्य से गुजारा गया है, जिसमे कोई स्पष्टीकरण या चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जो खर्चे सहित निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का साक्ष्य दर्ज हो चुका है तथा प्रस्तुत अपील वास्ते शेष साक्ष्य नियत चली आ रही थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अन्य साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा दाखिल गवाहान सूची में कुल 03 साक्षीगण दर्शाये गये हैं। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 28–11–2022 एवं आदेश दिनांकित 14–07–2023 के द्वारा अपीलार्थी को शेष साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। किन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। जिस पर न्यायालय आदेश दिनांकित 02–08–2023 के द्वारा अपीलार्थी का शेष साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। चूंकि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का साक्ष्य दर्ज हो चुका है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–222 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तद्नुसार आपत्ति निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–222 रूपये 1,000/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय आदेश दिनांकित 02–08–2023 रिकाल किया जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति ग–228 निस्तारित की जाती है। प्रार्थी/अपीलार्थी हर्जा अदा करे। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 09–10–2023 को पेश हो।

दिनांकः 26–09–2023

(हनी गोयल)
अपर जिला जज,कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।

J.O. Code. U.P.-02408